ISSN: 2347-2723 IMPACT FACTOR : 3.3754(UIF) VOLUME - 5 | ISSUE - 1 | AUGUST - 2017

REVIEW OF LITERATURE

राष्ट्रीय एकता, समाजवाद तथा अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण एवं अभिवृत्ति

डॉ. शिरीष पाल सिंह
सह प्रोफेसर , महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय , (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)वर्धा (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना :

राष्ट्रीयता–अन्तरराष्ट्रीयता की विरोधी नहीं है। जो सही अर्थ में राष्ट्रीय होगा वह व्यक्ति ही अन्तरराष्ट्रीयता का भी समर्थक होगा। राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय एकता सम्मलेन 1961 ने कहा है ''राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, हमदर्दी, संयुजन (ब्वीमेपवद), सद्नागरिकता तथा राष्ट्रभक्ति का विकास किया जाता है। ''जे.एस.बेरी ने कहा है– ''राष्ट्रीय एकता का अर्थ –देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सास्कृतिक, भाषिक भिन्नताओं को वांछनीय सीमा में रखना तथा उनमें भारतीय एकता का समावेश रखना है। राष्ट्रीय एकता का संबंध हमारे अस्तित्व से है''।

राष्ट्र भक्ति की भावना का विश्लेषण करते हुए बर्टेण्ड रसेल ने कहा है कि ''यदि राष्ट्र प्रेम को अलग से लिया जाए ता उसकी शिक्षा लाभकर ही है। उसके हिमायतियों के इरादे भी बुरे नहीं है। अपने घर और जन्म भूमि के प्रति प्रेम तथा अतीत की सफलताओं के प्रति उच्च भावना की अनुभूति करना बुरा नहीं है किन्तु देश प्रेम की भावना एक जटिल भावना है। इसका जीवविज्ञानी तथा भौगोलिक आधार अच्छा है। यह अन्य राष्ट्रों के प्रति द्वेषभाव से रहित है। अपने विशुद्ध भाव में यह भावना ग्रामीण है। किन्तु शहरी लोगों को अपना वासस्थल बदलना पड़ता है। वे शिक्षा तथा समाचारपत्रों के माध्यम से कृत्रिम देश प्रेम का निर्माण कर लेते हैं। जो कि हानिकर होता है। इस भावना में अपने घर तथा पड़ोसियों के प्रति प्रेम कम, विदेशियों के प्रति घृणा अधिक होती है। राष्ट्रप्रेम समर्पण की भावना है। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक प्रेम आवश्यक है। किसी के भी प्रति घृणा का भाव विकसित नहीं किया जाना चाहिए।''

हम एक है, राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र सेवा हमारा धर्म है। यह भावना विकसित होना आवश्यक है। लेकिन अन्य राष्ट्रों के प्रति द्वेषभाव राष्ट्रीयता का सूचक कभी नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय एकता के संबंध में अध्यापकों के प्रत्यक्षण एवं अभिवृत्ति पर अध्यापकों के मतों को सारणी 1 (क) तथा सारणी 1 (ख) में तथा आलेख 1 (क) तथा 1 (ख) में प्रस्तुत किया गया है तथा उनका निर्वचन किया गया है।

सारणी 1 (क)
राष्ट्रीय मूल्य : राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित कथन पर अध्यापकों का प्रत्यक्षण

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां		अंक
		सहमत	असहमत	
20	पक्ष	448	52	945

कथन :

20 सभी विद्यालयों में राष्ट्रगीत (वन्देमातम्) गाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

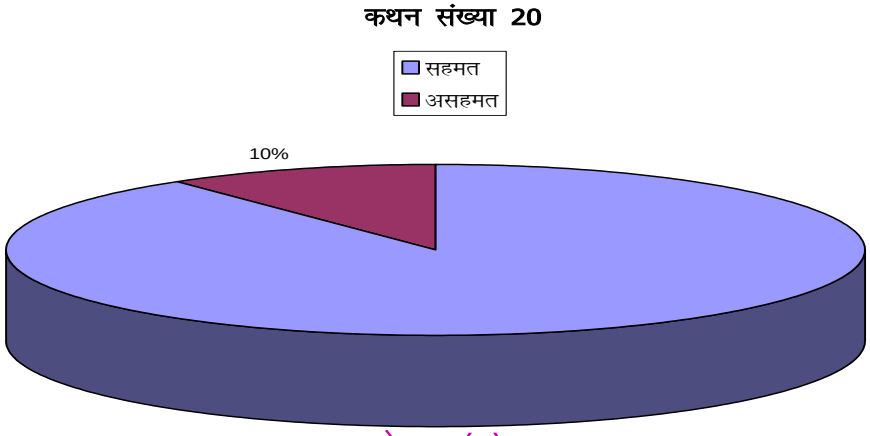

आलेख 1 (क)
राष्ट्रीय मूल्य : राष्ट्रीय एकता से संबंधित कथन पर अध्यापकों के प्रत्यक्षण की अभिमत श्रेणियां

निर्वचन :

इस कथन पर 52 (10.4 प्रतिशत) अपनी असहमति प्रकट कर रहे है। जबकि 448 (89.6 प्रतिशत) सहमति प्रदान कर रहे है।

1 (ख)
राष्ट्रीय मूल्य से सम्बन्धित कथन पर अध्यापकों का अभिमत

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां					अंक	श्रेणी क्रम
		पूर्ण सहमत	आंशिक सहमत	अनिश्चित	आंशिक असहमत	पूर्ण असहमत		
60	पक्ष	445	28	9	4	14	2330	1
73	पक्ष	178	119	78	39	86	1764	3
94	विपक्ष	24	40	25	22	389	2212	2

कथन :

60 राष्ट्रीयता तो धर्म से भी बढ़कर है।

73 कृत्रिम देश प्रेम में अपने देशवासियों के प्रति प्रेम कम विदेशियों के प्रति घृणा अधिक होती है।

94 सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह तो सरकार का काम है।

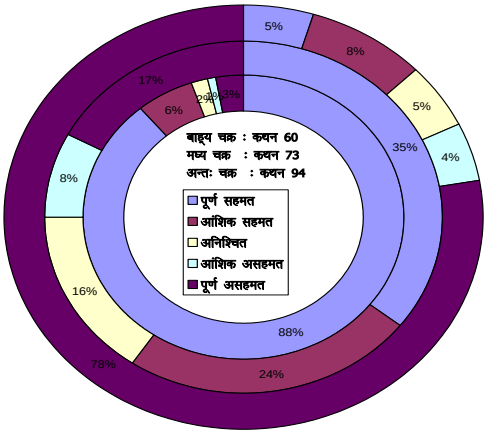

आलेख 2 (ख)
राष्ट्रीय मूल्य : राष्ट्रीय एकता संबंधी कथनों पर अध्यापकों की विभिन्न अभिमत श्रेणियों पर प्रतिशत आवृत्तियां

निर्वचन :

1. 94.6 प्रतिशत अध्यापक राष्ट्रीयता को धर्म से बढ़कर मान रहे है जबकि 3.6 प्रतिशत ऐसा नहीं मानते तथा 1.8 प्रतिशत अनिश्चित है।
2. 59.4 प्रतिशत अध्यापक मानते हैं कि कृत्रिम देश प्रेम में राष्ट्रप्रेम कम विदेशियों के प्रति घृणा अधिक रहती है। यद्यपि कथन से 25 प्रतिशत अध्यापक असहमत है। जबकि 15.6 प्रतिशत निश्चय नहीं कर सके हैं।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा के भाव को 82.2 प्रतिशत अपना दायित्व मानते हैं जबकि 12.8 प्रतिशत इसे सरकार का दायित्व मान रहे है। जबकि 5 प्रतिशत अनिश्चिय की स्थिति में है।

निहितार्थ :

राष्ट्रीयता के संबंध में अधिकांश अध्यापकों के अभिमत उच्च प्रतिशत में विधायक हैं। फिर भी विशुद्ध राष्ट्रीयता का भाव विकसित करने के सार्थक प्रयासों की भी आवश्यकता की अनुभूति हो रही है ताकि विदेशियों के प्रति घृणा का भाव विकसित न हो क्योंकि घृणा स्वयं ही अवांछनीय मानवीय दुर्बलता -

समाजवाद

समाजवाद के अनुसार सम्पत्ति का निर्माण सामाजिकता से हुआ है। अतः सम्पत्ति में सब की बराबर की साझेदारी है। सरकार भूमि और कारखानों का मालिकाना हक विनियमित (रेगूलेट) करें ताकि सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सकें। भारतीय समाजवाद, मार्क्स के समाजवाद या कम्यूनिजम से सर्वथा भिन्न है। हमारा समाजवाद गांधीवादी समाजवाद है। लोकतांत्रिक–समाजवाद शोषण से मुक्ति, समानता तथा न्याय की आधारशिला पर टिका हुआ है। यह वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। इस समाजवाद में पूंजीवाद के दोषों को समाप्त करने की प्रबल इच्छा है, नागरिक स्वतंत्रताओं का विकास करने की तथा उनमें वृद्धि करने की इच्छा निहित है। इस समाजवाद में पूंजीवाद का विरोध करने की प्रबल प्रवृत्ति है। हमारे समाजवादी चिन्तक यद्यपि मार्क्स को ऋषि तथा महान चिंतक स्वीकार करते है परन्तु मार्क्स की क्रान्ति के हिंसक रूप को स्वीकार नहीं करते बल्कि उसका प्रबल विरोध भी करते है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद केवल शान्ति व संवैधानिक साधनों की बात करता है। हमारे समाजवाद की यह एक अपूर्व सफलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष बाद ही (1951 में) भूमिपतियों को भूमि के एकाधिकार को समाप्त कर वास्तविक किसानों को भूमिधर बना दिया तथा जमींदारों को उसका मुआवजा भी दिया। देशी रियासतों का विलयीकरण कोई सामान्य घटना नहीं थी, जिसे सरदार पटेल ने बड़े ही विलक्षण ढंग से पूरा कर दिखाया। यह महात्मा गांधी के आदर्शों तथा सिद्धांतों की ही क्रियान्विति थी।

समाजवाद हमारा राष्ट्रीय मूल्य है जिसे संविधान की उद्देशिका में ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त समाजवाद का स्वरूप संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में स्पष्ट रूप स परिलक्षित है। हमारे अध्ययन में समाजवाद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित केवल एक ही कथन प्रत्यक्षण मापनी में है। इस कथन पर अध्यापकों के अभिमतों को सारणी 2 तथा आलेख 2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2

राष्ट्रीय मूल्य : समाजवाद से संबंधित कथन पर अध्यापकों का प्रत्यक्षण

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां		अंक
		सहमत	असहमत	
41	पक्ष	474	26	974

कथन :

41. राष्ट्रीय सम्पत्ति पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए।

निर्वचन :

राष्ट्रीय सम्पत्ति पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए इस से सहमत अध्यापकों की प्रतिशत 95.6 है। केवल 4.4 प्रतिशत अध्यापक ऐसा नहीं मानते।

निहितार्थ :

अध्यापकों को समाजवाद में पूर्ण विश्वास है।

अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतस्याम, उदारचरितानामतु वसुधेव कुटुम्बकम्। यह मानना हमारी परम्परा रही है कि यह मेरा है वह दूसरा है यह मानना तो छोटी बुद्धिवालों का काम है उदार चरित्र व्यक्ति तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव तथा विश्व शान्ति के बारे में बर्टण्ड रसेल का मानना है कि शान्ति और अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए

वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए तीन बातें होनी आवश्यक हैं–(1) अपनी भावनाओं और इच्छाओं के आवेग पर नियंत्रण (2) सत्य के प्रति आस्था (3) पूर्वधारणाओं से मुक्त तटस्थ दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त व्यक्ति मताग्रहों और अंधविश्वासों से मुक्त होंगे। उनका दृष्टिकोण विशाल होगा तथा उनमें विवेकशीलता होगी। वे सहिष्णु, निष्पक्ष तथा बौद्धिक रूप से ईमानदार होंगे। वे न्याय प्रिय मित्रतापूर्ण तथा आशावादी होंगे। ऐसे व्यक्तियो से ही विश्वशान्ति तथा अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव की आशा की जा सकती है।

हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 51 अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने के लिए समर्पित है। हमारे अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीयता से संबंधित कथनों की संख्या 5 है। इन कथनों में एक प्रत्यक्षण तथा 4 अभिवृत्ति के है। अंतरराष्ट्रीयता से संबंधित कथनों पर अध्यापकों के अभिमतों को सारणी 3 (क) तथा सारणी 3 (ख) में प्रस्तुत किया गया है तथा आलेख 3 (क) तथा 3 (ख) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3 (क)
अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव से संबंधित कथन
पर अध्यापकों का प्रत्यक्षण

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां		अंक
		स्हमत	असहमत	
59	पक्ष	227	223	777

कथन :

59. अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव को रास्ते में अंधदेश प्रेम एक घातक तत्व है।

निर्वचन :

इस कथन पर अध्यापकों में से 55.4 प्रतिशत की पूर्ण सहमति है। जबकि 44.6 इस कथन से असहमत हैं।

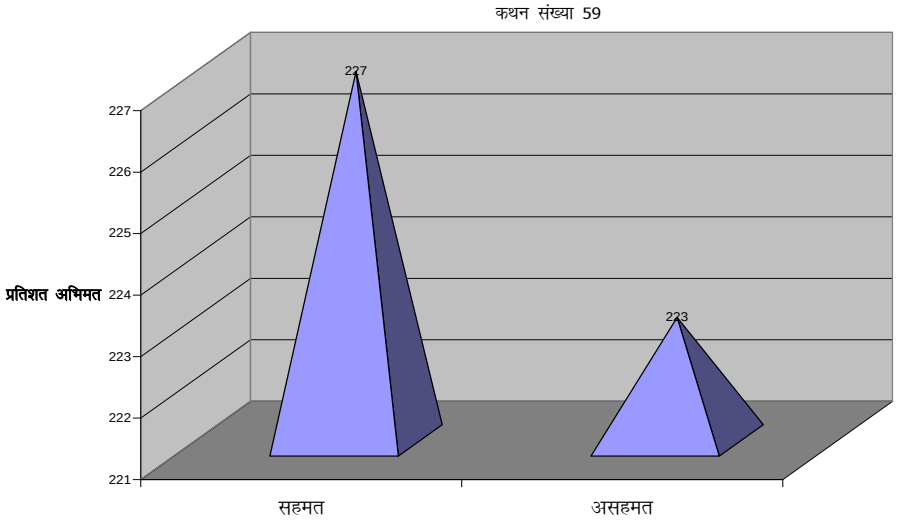

आलेख 3 (क) राष्ट्रीय मूल्य : अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव से संबंधित कथन पर अध्यापकों के प्रत्यक्षण–अभिमत

सारणी 3 (ख)
राष्ट्रीय मूल्यः अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव से संबंधित
कथनों पर अध्यापकों की अभिवृत्ति

कथन संख्या	प्रकार	अभिमत श्रेणियां					अंक	श्रेणी क्रम
		पूर्ण सहमत	आंशिक सहमत	अनिश्चित	आंशिक असहमत	पूर्ण असहमत		
34	पक्ष	438	37	15	4	6	2397	1
50	पक्ष	333	78	34	19	36	2153	2
73	पक्ष	178	119	78	39	86	1768	4
96	पक्ष	367	86	25	8	14	2284	2

कथन :

34 अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है।
50 पूरे विश्व के सभी मनुष्य हमारे अपने परिजन है।
73 कृत्रिम देश प्रेम में अपने देशवासियों के प्रति प्रेम कम विदेशियों के प्रति घृणा अधिक होती है।
96 विश्वशान्ति के लिए सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में शान्ति शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है।

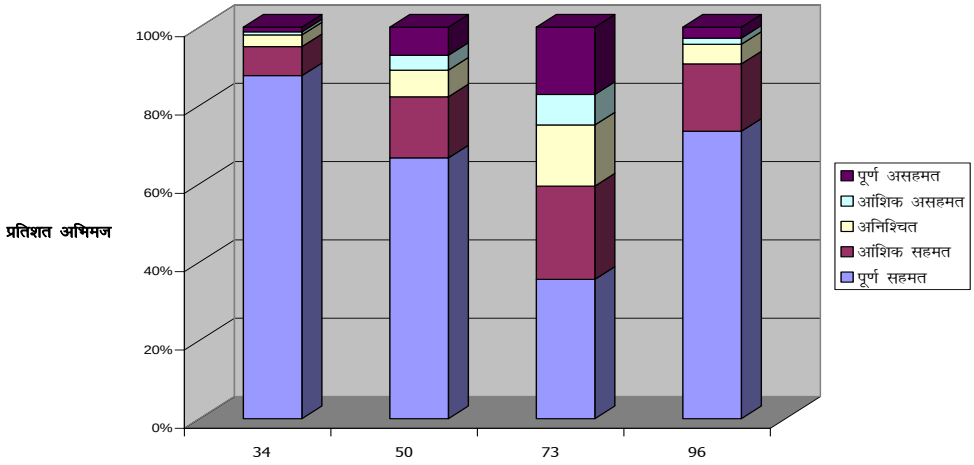

आलेख 3 (ख)
राष्ट्रीय मूल्य : अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव से संबंधित कथनों पर अध्यापकों की अभिमत श्रेणियों पर प्रतिशत आवृत्तियां

निर्वचन :

1. 95 प्रतिशत अध्यापक मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना शिक्षा का कार्य है।
2. शान्ति शिक्षा के संबंध में 90.3 प्रतिशत अध्यापक पक्ष में मतदान कर रहे हैं।
3. पूरे विश्व के लोगों को 82.2 प्रतिशत अध्यापक अपना परिजन मानते है।
4. कृत्रिम देश प्रेम को अध्यापक नकार रहें हैं इसके पक्ष में मतदान करने वाले अध्यापक 59.4 प्रतिशत है।

निहितार्थ :

अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति तथा प्रत्यक्षण उच्च स्तर का है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

Govt. of India:

: Report of committee on Emotional Intigration, Ministry of education, 1962.
: Report of the committee for review of National policy of education 1986, 1990.
: Report of the committee on Religious and Moral. Instruction. Ministry of Education. 1959.
: Report of the education commission on education and National Development 1964-66. Ministry of seducation. 1966.
: Report of the National Policy on education (1986) Ministry of Human Resources.
: भारत का संविधान : विधि एवं न्याय मंत्रालय विधाई विभाग, राजभाषा खण्ड 1996
: भारत 2007, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
: भारत 2008 प्रकाशन विभाग, सूचना आर प्रसारण मंत्रालय
: कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2006, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानवाधिकार विकास विशेषांक।
: बालक अधिनियम 1960 (1 अगस्त 1985 तक यथा विद्यमान, विधि एवं न्याय मंत्रालय)
: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1 फरवरी 1999 तक यथाविद्य)
: The Protection of Human Right Act 1993.

: बाल अधिकार और बाल संरक्षण, आशारानी बोहरा, प्रकाशन विभाग (1999)।
: बाल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, रेणुका चौधरी योजना नवम्बर 2008.
: भारतीय बच्चे : एक विवरण, योजना, नवम्बर 2006
: गरीबों की शिक्षा के हक के लिए संघर्ष, शांता सिन्हा, योजना, नवम्बर 2006
: ग्रामीण बच्चों के लिए कठिन दौर, कृष्ण कुमार, योजना, नवम्बर 2006
: बाल कल्याण के लिये अधिकारोन्मुख राह अपनाएं, योजना, नवम्बर 2007
: 46 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण से ग्रस्त, योजना, नवम्बर 2007
: ग्रामीण बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007
: बालश्रम एक कलंक, कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007
: संकट में बचपन, कुरुक्षेत्र 2007
: बालश्रम समस्या कारण एवं प्रभाव, कुरुक्षेत्र 2007
: ग्रामीण भारत में बालश्रम, कुरुक्षेत्र 2007
: Challenges of Education: Policy Perspectives, New Delhi, 1985.
: Report of the Working Group to Review Teachers Training Programme (in the Light of the Need for Value Orientation), 1983.

Singh, Bhopal : जनसंख्या शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन, गढ़वाल वि.वि. की पीएच.डी. का शोध प्रबन्ध अप्रकाशित (1985)
: जनसंख्या शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2006)
: पर्यावरण शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2007)
: पर्यावरण अध्ययन, मेरठ लायल बुक डिपो (2008)

UNO :
: जातीय भेदभाव का उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र 20 नवम्बर 1963.
: मानवाधिकारों का घोषणा पत्र।
: बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र दिनांक 20 नवम्बर 1989
: संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों की समाप्ति सम्बन्धी अभिसमय, 3 दिसम्बर 1981
: सिविल तथा राजनीतिक अधिकार : अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा।